12.07.2018 को राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित "नदियों को जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त।

भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ. प्रोदीप्तो घोष की अध्यक्षता में "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की बारहवीं बैठक 12.07.2018 (गुरुवार) को सुबह 11.30 बजे राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

प्रारंभ में, अध्यक्ष ने सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने वित्त एवं सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ, पूर्व में एडीबी मनीला तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ. तुलसीधर का अन्य सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों/प्रतिभागियों से परिचय कराया। उन्होंने एक बार फिर टास्क फोर्स के निर्णय को दोहराया कि वित्त समूह की अंतरिम रिपोर्ट जुलाई, 2018 के अंत तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। कार्यबल की बैठक में अंतरिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा संशोधित विचारार्थ विषयों के साथ समूह को जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने समूह के सदस्य सचिव से चर्चा के लिए एजेंडा मद लेने का अनुरोध किया।

मद 12.1: 28.06.2018 को आयोजित वित्तीय पहलू पर समूह की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य सचिव ने बताया कि वित्तीय पहलुओं पर समूह की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त को सदस्यों/विशेष आमंत्रितों के बीच पत्र संख्या एससीएलआईआर /तक/400/12/2017/666-682 दिनांक 09-07-2018 के माध्यम से ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया गया। चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त को प्रसारित माना गया।

मद 12.2: आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉ गोसाईं द्वारा प्रस्तुति

आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉ गोसाईं संभवतः अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। अध्यक्ष ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट के लिए आवश्यक इनपुट समूह की पूर्व बैठकों में आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉ गोसाईं द्वारा की गई प्रस्तुति की सहायता से अध्यक्ष द्वारा तैयार किया जाना है।

हालांकि, डॉ गोसाईं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए लिंक परियोजनाओं की क्षमता स्थापित करने की पद्धति पर एक इनपुट प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं।

मद 12.3: श्री एच सतीश राव द्वारा प्रस्तुति

सदस्य सचिव ने बताया कि श्री राव ने 23 जून, 2018 के अपने ई-मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) में कार्यभार संभालेंगे। इसलिए वह इस समूह की बैठकों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री दीपक दास गुप्ता भी सितम्बर तक उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, दोनों व्यक्ति ईमेल/स्काइप पर उपलब्ध होंगे।

मद 12.4: भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए निधियों के संभावित प्रवाह के अनुमानों पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुति

यस बैंक की टीम ने ग्यारहवीं बैठक के दौरान चर्चा के अनुसार परिवर्तनों को शामिल करने के बाद वित्तीय मॉडल प्रस्तुत किया। हालांकि टीम ने वार्षिक आधार पर प्राथमिकता वाली चार परियोजनाओं के लिए लागत की चरणबद्ध रूपरेखा तैयार की थी, इन परियोजनाओं की कुल लागत पर कुछ अस्पष्टताएं थीं, जिन पर पूरे समूह के बीच विचार-विमर्श किया गया था और अंतिम रूप दिया गया था। टीम को निम्नलिखित संशोधनों को शामिल करने के बाद अंतिम मॉडल प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी:

- वास्तविक लागत का अनुमान (2015-16 पीएल पर लागत) को अंतिम मॉडल में नाममात्र लागत (संबंधित वर्ष के पीएल पर) अनुमानों के साथ भी शामिल किया जाना है।
- सरकार के राजकोषीय घाटे और वृद्धिशील ऋण में वृद्धि का अनुमान: वित्तपोषण परिदृश्यों के कारण जीडीपी अनुपात को शामिल किया जाएगा, यह मानते हुए कि सभी उधार संप्रभु उधार होंगे।

मद 12.5: समूह के कार्य की प्रगति की समीक्षा करना और इसके कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना।

अध्यक्ष ने चर्चा के अंत में कार्यक्रम की समीक्षा की और बाद में अंतरिम रिपोर्ट की प्रस्तावित संरचना पर प्रस्तुति दी। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखने की जिम्मेदारी विभिन्न सदस्यों/विशेष आमंत्रितों/राजविअ/अन्य संगठनों को भी वितरित की, जिन्होंने विभिन्न समूह बैठकों में भाग लिया। अंतरिम रिपोर्ट की संरचना और सौंपे गए विवरण निम्नानुसार हैं:

(I) परिचय-(अध्यक्ष और राजविअ)

- आईएलआर की रूपरेखा , प्रत्याशित लाभ

- वित्त समूह के टीओआर
- टीओआर का जवाब देने के लिए कार्य योजना
- कार्य योजना पर प्रगति , शेष कार्य
- माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश
- टास्क फोर्स के सदस्यों से प्रतिक्रिया
- व्यापक आर्थिक मापदंडों के बारे में व्यापक धारणाएं
- जोखिम कारक

(II) वित्त पहलुओं पर प्रथम टास्क फोर्स रिपोर्ट की समीक्षा : (अध्यक्ष)

- एनसीएईआर की सिफारिशें
- पहली टास्क फोर्स की सिफारिशें

(iii) नदियों को आपस में जोड़ने वाले संघटकों की पूंजीगत लागतों को अद्यतन करना (श्री एमके सिन्हा)

- पद्धति
- अद्यतन लागत

(IV) नदियों को आपस में जोड़ने वाले घटकों का समूहन और निर्माण की चरणबद्धता (श्री एमके सिन्हा और राजविअ)

- परियोजना समूहों का 5-वर्षीय चरणबद्ध विभाजन
- 4 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का विस्तृत चरण

(V) निधियों के प्रवाह के अनुमान (यस बैंक)

- भारतीय वित्तीय संस्थानों से, और "स्किन इन द गेम" मॉडल के तहत भारत सरकार/लाभार्थी राज्यों से धन की आवश्यकताएं
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (सार्वजनिक और निजी) से अपेक्षित शेष निधियां

(VI) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तपोषण की संभावनाएं (श्री एच सतीश राव/डा वी तुलसीधर)

- एमएफआई से संभावित वित्तपोषण का अनुमान
- एमएफआई और आईएफआई द्वारा वित्त पोषण के संबंध में सामान्य विचार

(VII) जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में एमएफआई और अन्य आईएफआई के अधिदेश (डॉ वी तुलसीधर)

- अधिदेशों का सारांश
- फंडिंग के तौर-तरीके

(VIII) 4 प्राथमिकता वाले लिंक के लिए सुझाई गई वित्तपोषण योजना : (यस बैंक)

- निधियों की वर्षवार आवश्यकताएं
- विभिन्न वृहत आर्थिक परिदृश्यों के तहत आईएफआई से धन की उपलब्धता का अनुमान और सरकार और आईएफआई से वर्ष-वार आवश्यकताएं।

(IX) एमएफआई वित्तपोषण के लिए उचित परिश्रम की बढ़ी हुई आवश्यकताएं: (डॉ वी तुलसीधर/राजविअ)

- भारत सरकार के वित्तपोषण और एमएफआई वित्तपोषण के लिए उचित परिश्रम आवश्यकताओं की तुलना।

बैठक में यह बताया गया कि विवरणों के परिष्करण और राजविअ के तीन लिंकों की अनुमानित लागत पर विचार करने के कारण लिंक की कुल लागत को 8.68 लाख करोड़ से संशोधित करके 8.44 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसके लिए डीपीआर पहले की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तैयार की गई है।

उपरोक्त के अलावा, यस बैंक को सलाह दी गई थी कि वह अपनी प्रस्तुति को चार प्राथमिकता वाले लिंक के वित्तपोषण पैटर्न पर केंद्रित करे: (i) केन बेतवा, (ii) पार-तापी-नर्मदा, (iii) दमनगंगा-पिंजल, और (iv) गोदावरी (अकीनेपल्ली)- कावेरी। यह 2020-2030 की अवधि में वार्षिक आधार पर होना चाहिए, जबकि अन्य शेष लिंक के लिए 5 साल के ब्लॉक का पालन किया जाना चाहिए (2030 के बाद अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्य निहितार्थों के समाधान की अनुमति देने के लिए लिया जाना चाहिए)। लिंक की संशोधित लागत की प्रति यस बैंक के प्रतिनिधि को आवश्यक विश्लेषण करने, उनकी प्रस्तुति को अंतिम रूप देने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दी गई थी।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों को यदि आवश्यक समझें तो प्रस्तावित ढांचे में कोई नया पैरा जोड़ने की सलाह दी। उन्होंने सभी सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि वे समूह की प्रथम मसौदा रिपोर्ट तैयार करने और अगली बैठक से पहले सभी संबंधितों के बीच उसे परिचालित करने के लिए समूह के सदस्य सचिव को अपने विचार प्रस्तुत करें।

मद 12.6: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय

सदस्यों एवं अन्य प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि समूह की अगली बैठक 25 जुलाई, 2018 (बुधवार) को प्रात: 11.30 बजे राजविअ, पालिका भवन, नई दिल्ली के समिति कक्ष में आयोजित की जाए।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

अनुबंध-I

12 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की बारहवीं बैठक के सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों की सूची।

1.	डॉ प्रोदीप्तो घोष, भारत सरकार के पूर्व सचिव और आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के सदस्य और प्रतिष्ठित अध्येता, टेरी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री ए बी पंड्या, महासचिव आईसीआईडी एवं पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री आर के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री भूपेश राठौर, अध्यक्ष, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट एडवाइजरी, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड, मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए
5.	श्री के पी गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
6.	डॉ. वंकिना बी. तुलसीधर, वित्त और सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ, हैदराबाद	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	श्री एम के सिन्हा, निर्धारक, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियंता, सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	श्री आर के पचौरी, मुख्य अभियंता (पीपीओ), सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
	अन्य अधिकारी	
9.	श्री मुजफ्फर अहमद, अधीक्षण अभियंता, राजविअ, नई दिल्ली	
10.	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक (एससीआईएलआर),	

	राजविअ, नई दिल्ली	
11.	श्री आर के अग्रवाल, सलाहकार, राजविअ, नई दिल्ली	
12.	श्री प्रणय रंजन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (सीएफ), यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	
13.	सुश्री युविका ओबेरॉय, अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	